निर्णय व इजलास श्री विश्वजीत सिंह (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी बारां जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या :– 49 / 2025
दायरा दिनांक :– 01.07.2025
निर्णय दिनांक :– 08/9/2025

उनवान

1. कजोडी बाई आयु 70 वर्ष पत्नि श्री रविन्द्र कुमार जाति धाकड निवासी कॉलेज रोड बारां जिला बारां राज0
2. रविन्द्र कुमार आयु 72 वर्ष पुत्र श्री हीरालाल जाति धाकड निवासी कॉलेज रोड बारां जिला बारां राज0 मो0 7597305748

–प्रार्थीगण

बनाम

1. नरेन्द्र कुमार आयु 45 वर्ष पुत्र श्री रामेश्वर जाति धाकड निवासी दुर्जनपुरा तहसील बारां जिला बारां राज0
2. दीनदयाल आयु 50 वर्ष पुत्र श्री प्रभूलाल जाति धाकड निवासी दुर्जनपुरा तहसील बारां जिला बारां राज0
3. धनराज आयु 55 वर्ष पुत्र श्री प्रभूलाल जाति धाकड निवासी दुर्जनपुरा तहसील बारां जिला बारां राज0
4. अमृतलाल आयु 60 वर्ष पुत्र श्री गजानन्द जाति धाकड निवासी दुर्जनपुरा तहसील बारां जिला बारां राज0
5. राज0 सरकार जर्ये तहसीलदार बारां जिला बारां राज0

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज0 टी0 एक्ट

निर्णय दिनांक :– 08/09/2025

अभिभाषक उपस्थित :– 1. श्री नरेन्द्र कुमार सोमानी एड – प्रार्थी
2 श्री धर्मेन्द्र सिंह चौधरी एड–अप्रार्थीगण

अभिभाषक प्रार्थीगण द्वारा दावा पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर. टी. एक्ट विरूद्ध प्रतिवादीगण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि प्रार्थीगण क्रम 1 व 2 दोनो पति–पत्नि है तथा अत्यधिक वृद्ध है साथ रहकर अपना जीवन यापन कर रहै है। वादिया क्रम 01 प्रार्थी क्रम 02 की पत्नि है अपने खाते की आराजी ग्राम वाके माल दुर्जनुपरा पटवार हल्का इकलेरा तहसील बारां में आराजी खसरा नं0 173 रकबा 1.08 हे0 भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है तथा वादिया क्रम 01 उक्त भूमि की खातेदार कृषक है तथा प्रार्थीगण मिलकर उक्त भूमि पर काबिज काश्त असी पूर्व से करते चले आ रहे है तथा उक्त आराजी पर फसल की सुरक्षा

उप खण्ड अधिकारी
बारॉं

लिए अस्थायी पत्थरो का कोट बना रखा है अप्रार्थी क्रम 01 ता 04 के खाते की आराजी प्रार्थीगण के खेत से काफी दुर है तथा अप्रार्थी क्रम 01 ता 04 बिना किसी कारण के प्रार्थीगण के खाते की आराजी खसरा न0 173 के सामने कच्चा आम रास्ता है अप्रार्थीगण कभी उस रास्ते पर उनका आवागमन नही रहा और ना ही इस रास्ते का उपयोग उपभोग अप्रार्थीगण ने किया परन्तु अप्रार्थीगण प्रार्थीगण के खातेदारी के खेत खसरा न0 173 पर जबरन लटठ के बल रास्ता कायम करना चाहते है तथा इस कार्य के प्रयास हेतु अप्रार्थीगण ने कई बार प्रार्थी क्रम 02 के साथ लडाई झगडा व मारपीट भी की तथा झुठी रिपोर्ट थाने में भी दर्ज करवाई। अप्रार्थीगण के पास उनके खेतो पर आने जाने के लिए वैकल्पिक रास्ता मौजूद है जिस पर पूर्व से ही अप्रार्थीगण अपने खेतो पर आते जाते रहे है परन्तु उक्त आम रास्ता अप्रार्थीगण के खेतो के नजदीक नही है फिर भी प्रार्थीगण को उनके खातेदारी अधिकारो को नुकसान पहुचाने के उददेशय से बिना मुआवजा दिये रास्ता बनाने के लिए प्रयासरत है जबकि विधि में यह प्रावधान है कि यदि किसी भी व्यक्ति को अपने खेतों पर किसी अन्य व्यक्ति के खातदारी की जमीन में से रास्ते की आवश्यकता हो तो वह नियमानुसार धारा 251 के राजस्थान काश्तकारी प्रावधानो के अनुसार वाद प्रस्तुत कर जितना रास्ता चाहिए उसकी मौजूदा कानून के अनुसार डी.एल.सी दर से दो गुना मुआवजे का भुगतान कर रास्ता प्राप्त कर सकते है। अप्रार्थी क्रम 01 ता 04 ने रास्ता प्राप्त करने के लिए न तो प्रार्थीगण के खिलाफ 251 के राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में कोई वाद प्रस्तुत किया और ना ही किसी प्रकार से कोई मुआवजा राशि का भुगतान किया और जबरन लटठ के बल दादागिरी व नेतागिरी के आधार पर रास्ता कायम करना चाहते है जिन्हे करने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नही है तथा उनका प्रयास विधिक प्रावधानों के विपरित है। प्रार्थीगण अप्रार्थीगण के विरूद्ध ताफैसला वाद इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है कि प्रार्थीगण में से वादिया क्रम 01 के खातेदारी की आराजी खसरा न0 173 पर बने हुए अस्थायी पत्थरों के कोट को अप्रार्थी क्रम 01 ता 04 नही हटाये तथा उक्त भूमि पर जबरन लटठ के बल पर रास्ता कायम नही करें। यदि अप्रार्थीगण क्रम 01 ता 04 अपने मन्सुबो में सफल हो गये तो वादिया क्रम 01 के खातेदारी की आराजी खसरा न0 173 रकबा 1.08 हे0 पर रास्ता कायम कर दिया तो वादिया को भारी आर्थिक व मानसिक क्षति होगी जिसकी पूर्ति मुद्रा में होना सम्भव नही है यदि तुलनात्मक रूप से देखा जाये तो अप्रार्थी क्रम 01 ता 04 के पास वैकल्पिक रास्ता मौजूद है इस कारण वादिया क्रम 01 के खेत खसरा न0 173 में अप्रार्थीगण को रास्ता नही दिया जा सकता। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थी क्रम 01 ता 04 के विरूद्ध ताफैसला वाद इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वह ग्राम वाके माल दुर्जनपुरा तहसील बारां की आराजी खसरा न0 173 रकबा 1.08 हे0 पर किसी प्रकार से जबरन बिना मुआवजा राशि का भुगतान किये रास्ता कायम नही करे तथा उक्त आराजी पर बने हुए पत्थर के कोट को किसी प्रकार से न तो क्षतिग्रस्त करें न हटायें, ऐसा न तो स्वयं करें और ना ही अपने प्रतिनिधी से करावें।

प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण 01 ता 04 की ओर से श्री धर्मेन्द्र सिंह चौधरी एड0 का वकालत नामा पेश हुआ। अप्रार्थीगण द्वारा जवाब पेश किया। प्रार्थीगण द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम दुर्जनपुरा सम्वत 2072–2075 खाता संख्या नया 19 पुराना 17, नकल नक्शा दिनांक 29.06.2025, पटवार मण्डल इकलेरा, नकल नक्शा ट्रेस खसरा न0 173, पैमाईश रिपोर्ट दिनांक 18.06.2025, रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 22.07.2025, फोटोग्राफ घटनास्थल,

उप खण्ड अधिकारी
बारॉ

की गई। अप्रार्थीगण द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम दुर्जनपुरा सम्वत 2072 2075 खाता संख्या नया 96 पुराना 82, खाता संख्या नया 90 पुराना 90, खाता संख्या नया 96 पुराना 82, खाता संख्या नया 19 पुराना 17, खाता संख्या नया 1 पुराना 1, खाता संख्या नया 279 पुराना 5, खाता संख्या नया 164 पुराना 149, एवं नकल जमाबन्दी ग्राम दुर्जनपुरा सम्वत 2072 2075 खाता संख्या नया 59 पुराना 52, नजरी नक्शा दिनांक 27.08.2025 नकल नक्शा ऐस दुर्जनपुरा खाता संख्या नया 59, पुराना 52, खसरा संख्या 170, नकल प्रति नक्शा दुर्जनपुरा सम्वत 2011, नकल प्रमाणित नक्शा दुर्जनपुरा सम्वत 2011 खसरा नं0 173, नकल प्रति नक्शा दुर्जनपुरा सम्वत 2011, खसरा नं0 148, नकल प्रति निर्णय दिनांक 11.03.2011 प्रकरण संख्या 02/08, नकल मिलान क्षेत्रफल ग्राम दुर्जनपुरा सम्वत 2038–57, नकल नक्शा किश्तवार तरमीम शुदा ग्राम दुर्जनपुरा सम्वत 2011, नकल खतोनी बन्दोबस्त ग्राम दुर्जनपुरा सम्वत 2038–57, खसरा नं0 98, नकल खतोनी बन्दोबस्त ग्राम दुर्जनपुरा सम्वत 2038–57, खसरा नं0 37, नकल खतोनी बन्दोबस्त ग्राम दुर्जनपुरा सम्वत 2015–2024, नकल खतोनी बन्दोबस्त ग्राम दुर्जनपुरा सम्वत 2038–57, खसरा नं0 24, खसरा नं0 56, राजीनामा दिनांक 01.03.2016, फोटोग्राफ प्रति 6 दिनांक 24.08.2015, नकल भू–नक्शा सम्पूर्ण खसरा नं0 173, छायाप्रति थाना कोतवाली धारा 126 व 170, 135, दिनांक 28.06.2025, पेश की गई।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान् सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया गया। वकील प्रार्थीगण का कथन है, कि प्रार्थीगण क्रम 1 व 2 दोनो पति–पत्नि है। अपने खाते की आराजी ग्राम वाके माल दुर्जनुपरा पटवार हल्का इकलेरा तहसील बारां में आराजी खसरा नं0 173 रकबा 1.08 हे0 भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है तथा वादिरा क्रम 01 उक्त भूमि की खातेदार कृषक है तथा प्रार्थीगण मिलकर उक्त भूमि पर काबिज काश्त अर्सा पूर्व से करते चले आ रहै है तथा उक्त आराजी पर फसल की सुरक्षा के लिए अस्थायी पत्थरों का कोट बना रखा हैं अप्रार्थी क्रम 01 ता 04 के खाते की आराजी प्रार्थीगण के खेत से काफी दुर है तथा अप्रार्थी क्रम 01 ता 04 बिना किसी कारण के प्रार्थीगण के खाते की आराजी खसरा नं0 173 के सामने कच्चा आम रास्ता है। अप्रार्थीगण कभी उस रास्ते पर उनका आवागमन नहीं रहा और ना ही इस रास्ते का उपयोग उपभोग अप्रार्थीगण ने किया परन्तु अप्रार्थीगण प्रार्थीगण के खातेदारी के खेत खसरा नं0 173 पर जबरन लट्ठ के बल रास्ता कायम करना चाहते है तथा इस कार्य के प्रयास हेतु अप्रार्थीगण ने कई बार प्रार्थी क्रम 02 के साथ लडाई झगडा व मारपीट भी की तथा झुठी रिपोर्ट थाने में भी दर्ज करवाई। अप्रार्थीगण के पास उनके खेतों पर आने जाने कि लिए वैकल्पिक रास्ता मौजूद है जिस पर पूर्व से ही अप्रार्थीगण अपने खेतों पर आते जाते रहे है परन्तु उक्त आम रास्ता अप्रार्थीगण के खेतों के नजदीक नही है फिर भी प्रार्थीगण को उनके खातेदारी अधिकारो को नुकसान पहुचाने के उददेशय से बिना मुआवजा दिये रास्ता बनाने के लिए प्रयासरत है। यदि किसी भी व्यक्ति को अपने खेतों पर किसी अन्य व्यक्ति के खातेदारी की जमीन मे से रास्ते की आवश्यकता हो तो वह नियमानुसार धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी प्रावधानों के अनुसार वाद प्रस्तुत कर जितना रास्ता चाहिए उसकी मौजूदा कानून के अनुसार डी.एल.सी दर से दो गुना मुआवजे का भुगतान कर रास्ता प्राप्त कर सकते है। अप्रार्थी क्रम 01 ता 04 ने रास्ता प्राप्त करने के लिए न तो प्रार्थीगण के खिलाफ 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में कोई वाद प्रस्तुत किया और ना ही किसी प्रकार से कोई मुआवजा राशि का भुगतान किया गया है। प्रार्थीगण अप्रार्थीगण के विरूद्ध ताफैसला वाद इस

उप खण्ड अधिकारी
बारॉ

आशय की स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है यदि अप्रार्थीगण क्रम 01 ता 04 अपने मनसुबो मे सफल हो गये तो वादिया क्रम 01 के खातेदारी की आराजी खसरा नं0 173 रकबा 1.08 हे0 पर रास्ता कायम कर दिया तो वादिया को भारी आर्थिक व मानसिक क्षति होगी जिसकी पूर्ति मुद्रा मे होना सम्भव नही है अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थी क्रम 01 ता 04 के विरूद्ध ताफैसला वाद इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वह ग्राम वाके माल दुर्जनपुरा तहसील बारां की आराजी खसरा नं0 173 रकबा 1.08 हे0 पर किसी प्रकार से जबरन बिना मुआवजा राशि का भुगतान किये रास्ता कायम नही करे तथा उक्त आराजी पर बने हुए पत्थर के कोट को किसी प्रकार से न तो क्षतिग्रस्त करें न हटाये, ऐसा न तो स्वयं करें और ना ही अपने प्रतिनिधी से करावें।

बहस के दौरान वकील अप्रार्थीगण का कथन है, कि प्रार्थी क्रम 01 के खातेदारी की आराजी खसरा नं0 173 के उत्तरी और खसरा नं0 174 रकबा 1.08 हे0 गैरमुमकिन रास्ता स्थित है एवं उक्त खसरा नं0 174 से खसरा नं0 173 के पूर्व दिशा की और खसरा नं0 169 के लगवा अर्थात खसरा नं0 169 व 173 के मध्य लम्बवत उत्तर से दक्षिण रास्ता निकला हुआ है उक्त रास्ता खसरा नं0 174 रकबा 1.08 हे0 गैरमुमकिन रास्ता से जुडा हुआ है जो खसरा नं0 169 व 173 के मध्य लम्बवत उत्तर से दक्षिण से होकर दक्षिण में स्थित अप्रार्थी क्रम 1 के खेत खसरा नं0 198 अप्रार्थी क्रम 02 व 03 के खेत खसरा नं0 171 व अप्रार्थी क्रम 04 के खेत खसरा नं0 172 तक मौजूद है जो खसरा नं0 170 के लगवा होकर खसरा नं0 198 तक जाता है। जिसे जवाब प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे से समझा जा सकता है एवं नजरी नक्शा जवाब प्रार्थना पत्र का ही एक भाग है उक्त रास्ता अप्रार्थीगण के खेतो पर आने जाने का एकामत्र रास्त है जो लगभग 16 फीट चौडा है जिस पर अप्रार्थीगण अपने पूर्वजो के समय से लगभग 100 वर्षो से भी अधिक समय से शांतिपूर्वक निर्बाधरूद्ध से खेतो पर आने जाने कृषि यन्त्रों लाने ले जाने हेतु उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है जो उक्त रास्ता अप्रार्थीगण के खेतो के समीप व काफी पुराना स्थित है। उक्त रास्ते का उपयोग उपभोग कर ही अप्रार्थी क्रम 01 ता 04 ने इस वर्ष भी अपने खेतो को हांका जोता है एवं वर्तमान में भी अप्रार्थीगण उक्त रास्ते का अपने खेतो पर आने जाने व कृषि यन्त्र लाने ले जाने हेतु कार्य में ले रहे है। जो प्रस्तुत मोके के फोटो ग्राफस से प्रमाणित है। कानूनन चलित खुलासा रास्ते को प्रार्थीगण अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करवा कर बन्द करवाने के अधिकारी नही है तथा कब्जे के अभाव में विभिन्न न्यायिक दृष्टान्त व विधि के सिद्धान्त नो पजेशन नो इन्जेक्शन की धारणा के विपरित है इस कारण प्रार्थीगण का उक्त प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है। प्रार्थी क्रम 01 ने आराजी खसरा नं0 173 रकबा 1.08 हे0 वाके ग्राम दुर्जनपुरा को किमतन वर्ष 2005 में खरिद किया है उक्त खरिद से पूर्व आराजी खसरा नं0 173 व 172 अप्रार्थी क्रम 04 के पूर्वजो के नाम ज्याहा संयुक्त खातेदारी में दर्ज थी। उक्त खसरा नं0 173 व 172 का हाल सेटलमेन्ट पूर्व साबिक खसरा नं0 148 रकबा 12 बीघा 15 बिस्वा था जो अप्रार्थी क्रम 04 के पूर्वज रामलाल व गजानन्द पुत्रगण रतनलाल धाकड के खातेदारी में दर्ज थी जो राजस्व रिकार्ड से प्रमाणित है उक्त खसरा नं0 148 के रकबे 12 बीघा 15 बिस्वा का हे0 में रकबा 02.05 हे0 होता है परन्तु सेटलमेन्ट कर्मचारियों ने साबिक खसरा नं0 148 के नये खसरा नं0 172 रकबा 1.06 हे0 व खसरा नं0 173 रकबा 1.08 हे0 बनाते हुये त्रुटीपूर्ण रूप से कुल रकबा 2.05 हे0 के स्थान पर रकबा 2.14 हे0 आराजी अर्थात 0.11 हे0 आराजी ज्यादा दर्ज कर दी है एवं सेटलमेन्ट पूर्व स्थित राजस्व रिकार्ड नक्शे से छेड छाड कर वर्तमान नक्शे में खसरा नं0 173 व आस पास के खसरा नं0 को गलत तौर

उप खण्ड अधिकारी
बारां

स्थिति मे परिवर्तन कर दर्शा दिया है। जिस कारण प्रार्थीगण की आराजी खसरा नं0 173 का रकबा 0.11 हे0 ज्यादा दर्ज हो जाने एव राजस्व रिकार्ड नक्शे मे त्रुटीपूर्ण परिवर्तन कर दिये जाने से प्रार्थीगण उक्त बढे हुये रकबे की आड मे अप्रार्थीगण का रास्ता बन्द करना चाहते है जिसका प्रार्थीगण को कोई हक व अधिकार प्राप्त नही है। प्रार्थीगण ने स्वय अपने प्रार्थना पत्र की मद नं0 02 मे खसरा नं0 173 के आगे रास्ता होने बाबत कथन किये है एव स्वयं प्रार्थी क्रम 02 ने दिनांक 01.03.2016 को उक्त रास्ते को बाधित नही करने हेतु राजीनामा लिखा है तथा राजीनामा के उल्लघन कर रास्ता बाधित करने पर दिनांक 28.06.2025 को भी श्रीमान न्यायालय हाजा द्वारा प्रार्थी क्रम 02 को मौके पर लडाई झगडा नही करने एवं उक्त रास्ते को बाधित नही करने हेतु पावन्द किया है। साथ ही इस प्रकरण से पूर्व प्रार्थीगण का अपनी आराजी खसरा नं0 173 के समीप स्थित आराजी खसरा नं0 194 के खातेदार भरतराज व हंसराज पुत्रगण जयकिशन नागर से भी रास्ते का विवाद है जिसको माननीय न्यायालय तहसीलदार बारा द्वारा प्रकरण बउनवान हसराज वगैरा बनाम कजोडी बाई वगैरा प्रकरण संख्या 02/2008 अन्तर्गत धारा 251 आर0टी0एक्ट दिनांक 11.03.2011 को प्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र म भी अप्रार्थीगण द्वारा खसरा नं0 173 की पूर्वी दिशा की ओर स्थित मेर पर होकर निकलना बताया है जिससे स्पष्ट है कि मौके पर रास्ता बहुत पहले से ही मौजूद है तथा उक्त रास्ता अप्रार्थीगण के खेतो पर आने जाने का एकमात्र रास्ता है। जिस पर अप्रार्थीगण अपने पूर्वजो के समय से लगभग 100 वर्षो से भी अधिक समय से शातिपूर्वक निर्बाद्धरूप से खेतो पर आने जाने कृषि यन्त्रों लाने ले जाने हेतु उपयोग उपभोग करते चले आ रह है। जो उक्त रास्ता अप्रार्थीगण के खेतो के समीप व काफी पुराना स्थित है जिस पर अप्रार्थीगण को उक्त रास्ते का लम्बे समय से निर्बाद्धरूप से उपयोग उपभोग मे लेने व खेतो पर आने जाने कृषि यन्त्र लाने ले जाने के कारण उक्त रास्ते के उपयोग उपभोग का सुखाधिकार प्राप्त है। जिसे प्रार्थीगण उक्त वाद की आड में बन्द करने पर तुले हुये है जिसका प्रार्थीगण का कोई हक व अधिकार प्राप्त नही है। प्रार्थीगण ने जानबुझकर अप्रार्थी क्रम 01 ता 04 के खेतो के खसरा नं0 तक आलेखित नही किये ताकि अप्रार्थीगण के खेतो पर आने जाने का कोई मार्ग स्पष्ट नही हो सके जबकि खसरा नं0 173 व 169 के मध्य स्थित परम्परागत मार्ग के अलावा अप्रार्थीगण के खेत पर आने जाने व कृषि यन्त्र लाने ले जाने का कोई अन्य वैकल्पिक मार्ग मौके पर मौजुद नही है। मौके पर खसरा नं0 174 रकबा 1.08 गैरमुमकिन रास्ता से अप्रार्थी क्रम 01 के खेत खसरा नं0 198 अप्रार्थी क्रम 2 व 3 के खेत खसरा नं0 171 व अप्रार्थी क्रम 04 के खेत खसरा नं0 172 पर आने जाने व कृषि यन्त्र लाने ले जाने का रास्ता पूर्व से ही खसरा नं0 173 व 169 के मध्य होकर मौजूद है तथा उक्त रास्ता अप्रार्थीगण के खेतो पर आने जाने का एकमात्र रास्ता है। जो उक्त रास्ता अप्रार्थीगण के खेतो के समीप व काफी पुराना स्थित है। साथ ही उक्त रास्ता वर्तमान में भी खुलासा होने व उपयोग उपभोग में होने से प्रार्थीगण उक्त रास्ते को अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करवा कर बन्द करवाने के अधिकारी नही है। प्रार्थीगण के स्वयं के खेत खसरा नं0 173 व पडोसी किसान परसराम वगैरा के खेत खसरा नं0 169 के मध्य बरसो से रास्ता विद्यमान होन व उक्त रास्ते का उपयोग उपभोग खसरा नं0 170 के पडोसी किसानो द्वारा करने के तथ्य को छुपाने के आशय से प्रार्थीगण ने जानबुझकर वास्तविक स्थिति को न्यायालय के समक्ष आने से रोकने हेतु आवश्यक पक्षकार होने के बावजूद खसरा नं0 169 व 170 के खातेदार कृषक परसराम वगैरा को प्रार्थना/वाद पत्र में पक्षकार नही बनाया है। इस कारण उक्त प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही है। प्रार्थीगण ने उक्त प्रार्थना पत्र में प्रथम दृष्टया

उप खण्ड अधिकारी

मामला होने बाबत किसी प्रकार के कथन नही किये है एव ना ही कही यह दर्शाया है कि सुविधा के सन्तुलन का बिन्दु किस प्रकार से प्रार्थीगण के पक्ष में है जिस कारण उन्हे आर्थिक व मानसिक क्षति कारित होगी जबकि अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करने हेतु आवश्यक बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का सन्तुलन अपूर्णीय क्षति के बिन्दुओ को साबित करना आवश्यक है जो प्रार्थीगण साबित करने में विफल रहे है। जबकि अप्रार्थी क्रम 01 ता 04 का खसरा नं0 173 व 169 के मध्य होकर मौजूद होना तथा उक्त रास्ता अप्रार्थीगण के खेतो पर आने जाने का एकमात्र रास्ता जिस पर अप्रार्थीगण अपने पूर्वजों के समय से लगभग 100 वर्षो से भी अधिक समय से शांतिपूर्वक निर्बाद्धरूप से खेतो पर आने जाने कृषि यन्त्र लाने ले जाने हेतु उपयोग उपभोग करते चले आना एव उक्त रास्ता अप्रार्थीगण के खेतो के समीप व काफी पुराना स्थित होकर उक्त रास्ता वर्तमान में भी खुलासा होने व उपयोग उपभोग में होना प्रमाणित है जिस कारण सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति का बिन्दु अप्रार्थीगण के पक्ष में है। प्रार्थीगण उक्त प्रकरण की आड में जबरन उक्त रास्ते को बन्द करना चाहते है ताकि अप्रार्थीगण को परेशान कर उनकी आराजी को पडत रख कर उनसे उक्त रास्ते के नाम पर मोटी राशि वसूल कर सकें। अप्रार्थीगण ने वर्तमान में अपने अपने खेतो में फसल बोयी हुयी है जिसमें वर्तमान मे इल्लिया लगी हुई है एवं इस हेतु फसल मे कीटनाशक का छिडकाव किया जाना आवश्यक है यदि प्रार्थीगण द्वारा उक्त प्रकरण की आड में उक्त रास्ते को बाधित कर बन्द कर दिया तो अप्रार्थीगण की फसल नष्ट हो जायेगी एवं खेत पडत रह जायेगे एवं अप्रार्थीगण व उनके परिजनो के सामने भूखे मरने की नौबत आ जावेगी। प्रार्थीगण ने मिथ्या कथन कर श्रीमान न्यायालय हाजा से एकपक्षीय स्थगन आदेश प्राप्त करने के उपरान्त मौके पर खसरा नं0 174 से रास्ते के प्रारम्भ मे स्थित खसरा नं0 173 के उत्तरी पूर्व कोने पर स्थित फाटक को बन्द कर व रास्ते पर जे0 सी0 बी0 से गड्डा खुदाकर उक्त रास्ते को बन्द करने हेतु प्रयासरत है। जिसका प्रार्थीगण को कोई हक व अधिकार प्राप्त नही है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सव्यय निरस्त फरमाया जाकर प्रार्थीगण को पाबन्द फरमाया जावे की प्रार्थीगण अप्रार्थीगण के खेत पर आने जाने व कृषि यन्त्र लाने जाने हेतु विद्यमान रास्ते खसरा नं0 173 व 169 के मध्य को किसी भी प्रकार से बाधित नही करें।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित बिन्दु संख्या 2 में कथन किया गया कि अप्रार्थीगण द्वारा कभी उस रास्ते पर उनका आवागमन नहीं रहा और ना ही इस रास्ते का उपयोग उपभोग अप्रार्थीगण ने किया। अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा पेश दस्तावेज न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा निर्णय दिनांक 11.03.2011 में प्रार्थीया कजोडी बाई की सहमति से अप्रार्थीगण खसरा नम्बर 173 की पूर्वी मेर से निकलना बताया गया। उक्त निर्णय में रामनारायण जिनसे प्रार्थीया ने कृषि भूमि खसरा नम्बर 173 क्रय की उनके बयान में भी बताया गया कि परसराम जी व खसरा नम्बर 172 व 171 के खातेदार खसरा नम्बर 173 की पूर्वी मेर से मेरी सहमति से तथा अब कजोडी बाई की सहमति से निकलते है। इसके साथ ही अप्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा पेश दस्तावेज राजीनामा थाना कोतवाली दिनांक 01.03.2016 में प्रार्थी क्रम 2 ने उक्त रास्ते को बाधित नही करने हेतु स्वीकृति दी।

1. प्रथम दृष्टया मामला :– प्रार्थीगण द्वारा ग्राम दुर्जनपुरा तहसील बारां में आराजी खसरा नं0 173 रकबा 1.08 हे0 पर जबरन अप्रार्थीगण रास्ता कायम करना बताया गया है जबकि अप्रार्थीगण पूर्व से ही उक्त भूमि पर कृषि कार्य हेतु आने जाने हेतु उपयोग उपभोग कर

उप खण्ड अधिकारी
बारां

रहे। न्यायालय तहसीलदार, बारां के निर्णय दिनांक 11.03.2011 में प्रार्थीगण के बयान में ख0नं0 173 की पूर्वी मेर से सहमति से निकलना बताया गया है। प्रार्थीगण द्वारा वैकल्पिक रास्ता संबंधित दस्तावेज पेश नहीं किये गये। प्रार्थीगण द्वारा प्रथम दृष्टया मामला होने बाबत् किसी प्रकार के विशेष कथन नहीं किये और ना हि इस संबंध में कोई दस्तावेज पेश किये है। जिससे यह साबित हो सके की अप्रार्थीगण जबरन रास्ता कायम करना चाहते है। जबकि अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों अनुसार लम्बे समय से ही कृषि कार्य करने हेतु उक्त रास्ते का उपयोग उपभोग करते आ रहे। जिससे प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष मे प्रतित होता है।

2. सुविधा का संतुलन :– मुताबिक रिकॉर्ड/दस्तावेजो के अनुसार प्रार्थी को उक्त विवादित भूमि ख0 नं0 173 मे अप्रार्थीगणों द्वारा रास्ता कायम करने से आर्थिक व मानसिक क्षति होने संबंधि कोई दस्तावेज पेश नहीं किये गये जबकि प्रार्थीगण द्वारा उक्त रास्ता पूर्व से सहमति से होने तथा राजीनामा थाना कोतवाली, बारां में दिनांक 01.03.2016 में उक्त रास्ते को बाधित नहीं करने हेतु स्वीकृति दी हुई है। वर्तमान में रास्ता खुलासा न होने से अप्रार्थीगण को कृषि कार्य करने में कठिनाई हो रही है। इसलिए सुविधा का संतुलन अप्रार्थीगण के पक्ष में है।

3. अपूर्णनीय क्षति :– विवादित आराजियात पार्थीगण द्वारा श्री रामनारायण से जरिये विक्रय पत्र खरिद की गई है। श्री रामनारायण द्वारा न्यायालय तहसीलदार, बारां के निर्णय दिनांक 11.03.2011 में अपने बयानों में बताया गया कि परसराम जी व खसरा नम्बर 172 व 171 के खातेदार खसरा नम्बर 173 की पूर्वी मेर से मेरी सहमति से तथा अब कजोडी बाई की सहमति से निकलते है। जिससे यह साबित नहीं होता की अप्रार्थीगण वर्तमान में रास्ता कायम कर प्रार्थीगण को अपूर्णनीय क्षति पहुंचा रहे हो। जबकि रिकॉर्ड /दस्तावेजों अनुसार अप्रार्थीगण पूर्व से ही उक्त रास्ते का कृषि कार्य हेतु उपयोग एवं उपभोग करते आ रहे। प्रार्थीया द्वारा क्रय करने से पूर्व से ही अप्रार्थीगण उक्त ख0नं0 173 से सहमति से आते जाते रहे है। जिससे यह प्रतीत होता है कि प्रार्थीगण को किसी प्रकार की अपूर्णनीय क्षति होने की संम्भावना नही है प्रार्थी को स्थगन आदेश की आवश्कता प्रतीत नही होती है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही होने से खारिज किया जाना न्यायोचित है।

क्रियात्मक–आदेश

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र चलने योग्य नही होने के कारण खारिज किया जाता है।

निर्णय लिखा जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(विश्वजीत सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी बारां
उप खण्ड अधिकारी
बारॉं